09-06-2026

अभियुक्त बब्लु यादव एवं लालु यादव की हजारी है। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी सविता देवी की हाजिरी दी गई। अभियोजन साक्षी संख्या 1 के रूप में सविता देवी का साक्ष्य पूर्ण हुआ। साक्ष्य के ठीक पश्चात अभियुक्तगण की ओर से एक आवेदन दिया गया। आवेदन में कथन किया गया कि मामला वर्ष 2019 की है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 सविता देवी, जो काण्ड की परिवादिनी एवं कथित पीड़िता है, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि **''बब्लु एवं लालु उसके घर में घुस गये। वह हल्ला करना चाही तो उसका मुंह गमछा से बांध दिया। उसके बाद धमकी दिया कि चुप रहो नही तो जान से मार देगें। हल्ला पर अगल–बगल के लोग आ गये।** प्रति परीक्षा (Cross Examination) में कथन किया है कि **जिस जमीन को लेकर केस किये थे, वह जमीन साक्षी जोत रही है। जमीनी झगड़ा के कारण लोगों के बहकावे में आकर मुकदमा किया। अभियुक्त लालु यादव, जो उसका भतीजा है एवं बब्लु यादव उसका देवर है। अभियुक्तगण निर्दोष है। इनकी रिहायी चाहती है। वह आगे केस लड़ना नही चाहती है तथा आगे कोई गवाही भी नही देना चाहती है।''** अतः अभियोजन साक्ष्य बंद कर अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ देने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323 एवं 376 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान एकमात्र अभियोजन साक्षी का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 सविता देवी, जो काण्ड की सूचिका एवं कथित पीड़िता है, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि **बब्लु एवं लालु उसके घर में घुस गये। वह हल्ला करना चाही तो उसका मुंह गमछा से बांध दिया। उसके बाद धमकी दिया कि चुप रहो नही तो जान से मार देगें। हल्ला पर अगल–बगल के लोग आ गये। प्रति परीक्षा (Cross Examination) में कथन किया है कि जिस जमीन को लेकर केस किये थे, वह जमीन साक्षी जोत रही है। जमीनी झगड़ा के कारण लोगों के बहकावे में आकर मुकदमा किया। अभियुक्त लालु यादव उसका भतीजा है एवं अभियुक्त बब्लु यादव उसका देवर है। साक्षी ने आगे कथन**

किया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। इनकी रिहायी चाहती है। वह आगे केस लड़ना नही चाहती है तथा आगे कोई गवाही भी नही देना चाहती है। अभियुक्त की ओर से आज दिए गए इस आवेदन कि अभियोजन साक्ष्य बंद कर अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ दिया जाए, विद्वान अपर लोक अभियोजक को कोई आपत्ति नहीं है। अतः दोनो पक्षो के तर्कों से सहमत होते हुए अभियोजन साक्ष्य बंद कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच कर अभियुक्तगण को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, उन्हे तथा उनके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीष अनुसूचित जाति एवं जनजाति,
जमुई।